

स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत आनुवंशिक विकारों को कवर करना आवश्यक नहीं: IRDAI

चर्चा में क्यों?

भारतीय बीमा वनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने नरिदेश दिया है कि स्वास्थ्य बीमा पालिसी के अंतर्गत आनुवंशिक विकारों को शामिल करना आवश्यक नहीं है। उल्लेखनीय है कि बीमा वनियामक ने इससे पूर्व बीमाकर्त्ताओं को यह सुनिश्चित करने के नरिदेश दिये थे कि आनुवंशिक विकारों के बहिष्कार के आधार पर मौजूदा स्वास्थ्य नीतियों पर किये जाने वाले दावों को खारजि नहीं किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठाया कदम

- यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद उठाया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दलिली उच्च न्यायालय के आदेश पर आंशिक रूप से रोक लगा दी थी।
- उल्लेखनीय है कि दलिली उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए फैसले में कहा गया था कि आनुवंशिक विकारों को स्वास्थ्य नीतियों के अंतर्गत शामिल न करना असंवैधानिक है।
- वर्तमान में कुछ हृदय रोग और हेमोफिलिया जैसे आनुवंशिक विकारों को स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत कवर नहीं किया जाता है।

क्या कहा था दलिली हाईकोर्ट ने?

- फरवरी 2018 में दलिली उच्च न्यायालय ने कहा था कि "बीमा पॉलिसी में आनुवंशिक विकारों का बहिष्कार करने वाला खंड बहुत व्यापक, संदिग्ध और भेदभावपूर्ण है"।
- इसने IRDAI को इस खंड पर दोबारा गौर करने और यह सुनिश्चित करने का नरिदेश दिया था कि बीमा कंपनियों आनुवंशिक विकारों से संबंधित बहिष्कारों के आधार पर दावों को अस्वीकार न करें।
- दलिली उच्च न्यायालय के नरिदेशों का अनुसरण करते हुए वनियामक ने सभी बीमा कंपनियों को स्वास्थ्य नीतियों से आनुवंशिक विकारों को बाहर नहीं करने का नरिदेश दिया था।

भारतीय बीमा वनियामक एवं विकास प्राधिकरण के बारे में

- भारतीय बीमा वनियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडा एक स्वायत्त सांविधिक एजेंसी है जिसका कार्य भारत में बीमा और पुनः बीमा करने वाले उद्योगों का नियमन करना और उन्हें बढ़ावा देना है।
- इसे बीमा वनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के तहत भारत सरकार द्वारा गठित किया गया था।